



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 588]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2014—अग्रहायण 21, शक 1936

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2014

क्र. एफ-बी-4-22-2014-2-पांच (31).—रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) की धारा 80-ख द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छूट तथा कमी के प्रयोजन के लिए पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अतिष्ठित करते हुए निम्नलिखित के संबंध में प्रभार्य फीस में छूट प्रदान करती है.

2. यह अधिसूचना दिनांक 15 दिसम्बर 2014 से प्रवृत्त होगी.

छूट तथा कमी

(1) सरकार द्वारा या उसके पक्ष में निष्पादित किए गए दस्तावेज, जिस पर भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 3 के परन्तुक 1 के अधीन कोई स्टाम्प शुल्क उद्ग्रहणीय नहीं है;

(2) असैनिक अथवा सैनिक सेवा के शासकीय सेवकों द्वारा उनके निजी उपयोग के लिये निवास गृहों का निर्माण करने अथवा उनको क्रय करने के प्रयोजन के लिये किसी भी शासन से प्राप्त अग्रिमों की अदायगी को प्रतिभूत करने के हेतु निष्पादित किए जाने वाले बंधक विलेख पर;

(3) बंधक संपत्ति के प्रतिहस्तांतरण की कोई भी लिखत जो किसी भी सरकार द्वारा असैनिक अथवा सैनिक सेवा के अधिकारी के पक्ष में, उनके निजी उपयोग के लिए निवास गृह निर्मित या क्रय करने के प्रयोजन के लिये सरकार से उसको प्राप्त अग्रिम के भुगतान पर निष्पादित की जाए;

(4) बंधक के रूप में करारनामें जो सहायता प्राप्त संस्थाओं के प्रबंधकों द्वारा राज्य शासन से प्राप्त भवन अनुदानों के प्रतिफल में निष्पादित किए जाएं.

(5) बंधक विलेख जो मध्यप्रदेश शासन के किसी अधिकारी द्वारा अपने स्वयं के आवासीय प्रयोजन हेतु निवास के निर्माण के

प्रयोजन के लिए मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 (क्रमांक 3, सन् 1973) के अधीन स्थापित मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल से उसको प्राप्त अग्रिम की अदायगी को प्रतिभूत करने के लिए निष्पादित किया जाए;

(6) बंधक रखी गई संपत्ति के प्रतिहस्तांतरण की लिखत, जो मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 (क्रमांक 3, सन् 1973) के अधीन स्थापित गृह निर्माण मण्डल द्वारा मध्यप्रदेश शासन के किसी अधिकारी के पक्ष में उसके स्वयं के आवासीय प्रयोजन हेतु निवास गृह का निर्माण करने के प्रयोजन के लिए उक्त बोर्ड से उसको प्राप्त किसी अग्रिम के प्रतिसंदाय पर निष्पादित किया जाए.

(7) प्रतिभूत बंधपत्र जो मध्यप्रदेश शासन के किसी अधिकारी द्वारा प्रतिभूत मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल अधिनियम, 1972 (क्रमांक 3, सन् 1973) के अधीन नियत प्ररूप-पांच में विहित बंधक विलेख के निर्बंधन तथा शर्तों के सम्यक् पालन के लिये निष्पादित किया जाए.

(8) मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, नगर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार-न्यास, विशेष क्षेत्र प्राधिकरण, गंदी बस्ती उन्मूलन मण्डल या ग्रामीण आवास मण्डल द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के तथा निम्न आय समूह के व्यक्तियों के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों के अधधीन रहते हुए निष्पादित विक्रय विलेख / पट्टा विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क—

(क) जहां क्रेता / पट्टेदार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है—

(एक) वह विक्रेता / पट्टाकर्ता से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है कि वह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का है;

(दो) भू-खण्ड का क्षेत्रफल भवन सहित या बिना भवन के 60 वर्ग मीटर से अधिक न हो;

(ख) जहां क्रेता / पट्टेदार निम्न आय समूह का है—

(एक) वह विक्रेता / पट्टाकर्ता से इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करता है कि वह निम्न आय समूह का है;

(दो) भू-खण्ड का क्षेत्रफल भवन सहित या बिना भवन के 96 वर्ग मीटर से अधिक न हो;

(9) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 17, सन् 1961) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी गई किन्हीं प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सोसायटियों द्वारा इस आदेश के प्रकाशन की तारीख के पश्चात् आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के और निम्न आय समूह के व्यक्तियों के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों के अधधीन रहते हुए निष्पादित विक्रय विलेख / पट्टा विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क से छूट—

(क) जहां क्रेता / पट्टेदार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का हो—

(एक) वह इस अधिसूचना के साथ उपाबद्ध प्ररूप में (विलेख के साथ) शपथ-पत्र प्रस्तुत करता है;

(दो) भू-खण्ड का क्षेत्रफल भवन सहित या भवन के बिना 60 वर्ग मीटर से अधिक न हो;

(तीन) भू-खण्ड / भवन केवल आवासीय प्रयोजन के लिए हो.

(ख) जहां क्रेता / पट्टेदार निम्न आय समूह का हो—

(एक) वह इस अधिसूचना के साथ उपाबद्ध प्ररूप में (विलेख के साथ) शपथ-पत्र प्रस्तुत करता है;

- (दो) भू-खण्ड का क्षेत्रफल भवन सहित या भवन के बिना 96 वर्ग मीटर से अधिक न हो;
- (तीन) भू-खण्ड / भवन केवल आवासीय प्रयोजन के लिए हो :

परन्तु इस आदेश के अधीन छूट—

- (एक) भागतः निर्मित किये गये भवन की दशा में प्राप्त नहीं होगी;
- (दो) विक्रेता / पट्टाकर्ता द्वारा निष्पादित प्रथम हस्तांतरण विलेख पर प्राप्त होगी.

शपथ-पत्र

मैं, शपथपूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि

1. मेरा नाम पिता का नाम श्री आयु
जाति (अनुसूचित जाति / जनजाति की दशा में) है.
2. मैं तहसील जिला मध्यप्रदेश का वर्ष से
स्थायी निवासी हूँ.
3. मेरे परिवार में निम्न सदस्य हैं —
(1) (पत्नी) आयु)
(2) (पुत्र) आयु)
(3) (पुत्री) आयु)
(यदि माता-पिता आश्रित हों, उनका नाम/ आयु वर्णित करें)
4. मेरे स्वयं के नाम से या मेरे परिवार के उपरोक्त वर्णित सदस्यों के नाम से मध्यप्रदेश में कोई आवास गृह नहीं है.
5. मेरा व्यवसाय है. (यदि शासकीय अथवा निजी संस्था में मासिक वेतन के आधार पर
नियुक्त है तो धारित पद और वेतन के बारे में नियोक्ता का प्रमाण-पत्र संलग्न करें).
6. इस व्यवसाय से तथा अन्य स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रुपये है. (गत वर्ष की
आय बताएं).
7. प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी द्वारा जो भू-खण्ड / निर्मित भवन सहित
भू-खण्ड मुझे आवंटित किया गया है, उसका क्षेत्रफल वर्गमीटर है. उसके आवंटन की तारीख को
उसका मूल्य रुपये है. इसके संबंध में सोसायटी का प्रमाण-पत्र संलग्न है.
8. मैं ऊपर उल्लिखित प्राथमिक गृह निर्माण सोसायटी का सदस्य हूँ. मेरा सदस्यता क्रमांक है.
9. मैं रजिस्ट्रीकृत वाणिज्यिक कर दाता नहीं हूँ.
मेरा वाणिज्यिक कर रजिस्ट्रीकरण क्रमांक है.

10. मैं आयकर दाता नहीं हूँ.
11. मेरे वाणिज्यिक परिसरों का विवरण निम्नानुसार है—
- (1) वाणिज्यिक परिसर, जिसका आकार वर्गमाटर है, (पूरा डाक का पता लिखें) में स्थित है.
 - (2) वाणिज्यिक परिसर स्वामित्व / किराए पर धारित है. मैं श्री (दुकान मालिक का नाम और पता) को मासिक किराया रुपये का भुगतान करता हूँ.
 - (3) उपरोक्त वाणिज्यिक परिसर में का व्यापार / उत्पादन होता है. घोषणा-पत्र की तारीख को स्टॉक का मूल्य लगभग रुपये है.
 - (4) मेरी दुकान मध्यप्रदेश शासन के श्रम विभाग द्वारा रजिस्ट्रीकृत है, इसका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक है.
12. मेरे पास मोटरकार / मोटरसाइकिल है तथा उसका रजिस्ट्रीकरण क्रमांक है.

टिप्पणी.—मद क्रमांक 1 से 12 तक की समस्त मदें यथावत रखी जाएं. लागू न होने वाले भाग को काट दिया जाए.

स्थान :

हस्ताक्षर,

तारीख :

(अभिसाक्षी).

सत्यापन

मैं, सत्यापित करता / करती हूँ कि उपरोक्त प्रकथन के क्रमांक 1 से 12 तक में की अन्तर्वस्तु मेरी सर्वोत्तम ज्ञान तथा विश्वास के अनुसार सत्य है.

स्थान :

हस्ताक्षर,

तारीख :

(अभिसाक्षी).

प्रमाण-पत्र

प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी (नाम तथा रजिस्ट्रीकरण क्रमांक).

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पिता का नाम पता इस सोसाइटी का सदस्य है. इनका सदस्यता क्रमांक है, तारीख को इन्हें भू-खण्ड क्रमांक जो में (स्कीम क्रमांक, कालोनी का नाम, पता बताएं) स्थित वर्गमीटर माप का है. उस पर निर्मित भवन जो में (स्कीम क्रमांक, कालोनी का नाम, पता बताएं) स्थित वर्गमीटर माप का है, जिसका कि मूल्य रुपये है, आवंटित किया गया है.

हस्ताक्षर,

अध्यक्ष / सभापति,

प्राथमिक सहकारी गृह निर्माण सोसाइटी.

टिप्पणी.—यदि केवल भू-खण्ड आवंटित हुआ है तो केवल भू-खण्ड का क्षेत्रफल तथा मूल्य और भू-खण्ड तथा उस पर निर्मित भवन आवंटित किया गया हो तो भू-खण्ड का क्षेत्रफल एवं निर्मित भवन का क्षेत्रफल तथा मूल्य पृथक्-पृथक् प्रमाणित किया जाए.

(10) खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के अधीन की इकाइयों द्वारा बोर्ड से सहायता प्राप्त करने के लिये निष्पादित करार की लिखतों पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क.

(11) “लघु औद्योगिक इकाइयों” द्वारा मध्यप्रदेश वित्त निगम से 7.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिये निष्पादित बंधक विलेख की लिखतों पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क.

(12) मध्यप्रदेश ग्रामीण आवास मंडल से अपने स्वयं के उपयोग के लिये निवास-गृह के निर्माण, क्रय या मरम्मत हेतु प्राप्त अग्रिम के प्रतिसंदाय को प्रतिभूत करने के उद्देश्य से सिविल या मिलिटरी सेवा के किसी शासकीय सेवक द्वारा निष्पादित किये गये बंधक विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क.

(13) ऊर्जा उत्पादन तथा खनिज तेल परिष्करण के क्षेत्र में किसी “नवीन उद्योग” द्वारा उद्योग स्थापित करने के लिये पूंजी जुटाने हेतु निष्पादित बंधक विलेख के बारे में प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क की अधिकतम सीमा एक लाख रुपये होगी.

स्पष्टीकरण.—इस प्रयोजन के लिये “नवीन उद्योग” से अभिप्रेत है ऐसी औद्योगिक इकाई जिसने 19-8-1999 के पूर्व उत्पादन नहीं किया हो और उद्योग आयुक्त द्वारा या उनके द्वारा इस निमित्त नियुक्त किए गए किसी अधिकारी द्वारा इस प्रकार प्रमाणित किया जाए.

(14) उन व्यक्तियों के, जिनकी भूमि आटो टेस्टिंग ट्रेक परियोजना, पीथमपुर, जिला धार के लिए अर्जित की गई है, के पक्ष में निष्पादित किये गये विक्रय विलेख पर रजिस्ट्रीकरण फीस निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन रहते हुए प्रभार्य नहीं रहेगी, अर्थात् :—

- (1) धार जिले के कलक्टर से संलग्न फार्मेट में प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया हो, जिसमें आटो टेस्टिंग ट्रेक परियोजना, पीथमपुर के लिये भूमि अर्जन के लिये संदत्त मुआवजे की रकम के साथ-साथ विशेष पुनर्वास अनुदान की रकम का उल्लेख हो;
- (2) ऊपर खण्ड (1) की स्थिति विक्रय विलेख की लिखत में स्वयं अभिव्यक्त की गई हो,
- (3) छूट की पात्रता, मुआवजे तथा विशेष पुनर्वास अनुदान की रकम पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण फीस की राशि तक सीमित होगी, तथा
- (4) रजिस्ट्रीकरण अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसी लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क की वाणिज्य, उद्योग और रोजगार विभाग द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को प्रतिपूर्ति लिखत के रजिस्ट्रीकरण की तारीख से एक माह के भीतर की जाएगी.

(15) सरकार द्वारा या किसी अर्द्ध-सरकारी संगठन या किसी सरकारी उपक्रम द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित नजूल भूमि के पट्टाधृति अधिकारों को फ्री-होल्ड अधिकारों में संपरिवर्तित करने से संबंधित हस्तांतरण की लिखत पर, रजिस्ट्रीकरण शुल्क, कम करते हुए केवल लिखत में यथा उपवर्णित संपरिवर्तन के लिये दिये गये प्रतिफल की रकम पर ही प्रभार्य होगा, किन्तु प्रभार्य शुल्क की रकम किसी भी दशा में एक सौ रुपये से कम नहीं होगी.

(16) औद्योगिक इकाइयों के चालू समुत्थान के रूप में विक्रय या विलयन या समामेलन की लिखतों पर रजिस्ट्रीकरण शुल्क को कम करते हुए अधिकतम दस लाख रुपये उस स्थिति में किया जाए, जबकि प्रभार्य रकम इस रकम से अधिक हो. शुल्क में कटौती निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन लागू होगी—

- (1) उक्त लिखत, उद्योग की क्षमता बेहतर उपयोग हेतु निष्पादित की गई हो;
- (2) उद्योग का उत्पादन ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्षों में से किन्हीं तीन वर्षों में प्रतिष्ठापित क्षमता के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं रहा हो;
- (3) किसी बैंक या वित्तीय संस्था द्वारा इस उद्योग को दिये गये ऋण को विस्तारित कर ठीक पूर्ववर्ती दो वर्षों के लिये नान-परफार्मिंग आस्ति माना गया हो;
- (4) उद्योग का शुद्ध मूल्य घटकर ठीक पूर्ववर्ती पांच वर्ष पहले उसके शुद्ध मूल्य से आधे से कम रह गया हो; और
- (5) उस दशा में, जहां उद्योग का विक्रय मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं हो, संबंधित जिले के कलेक्टर द्वारा तथा अन्य मामलों में संबंधित संभाग के आयुक्त द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो, कि लिखत इस अधिसूचना के अधीन रियायत प्राप्त करने के योग्य है.

टिप्पणी.—यह छूट मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2010 (यथा संशोधित 2012) एवं मध्यप्रदेश उद्योग संवर्धन नीति, 2014 तथा उसकी कार्ययोजना के प्रवर्तन में रहने तक ही लागू रहेगी.

(17) मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल अथवा किसी विकास प्राधिकरण अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या रजिस्ट्रीकृत किसी गृह निर्माण सहकारी सोसायटी द्वारा या उसकी ओर से निष्पादित निजी भूमि के पट्टाधृति अधिकारों को फ्री-होल्ड अधिकारों में संपरिवर्तन किये जाने से संबंधित हस्तांतरण की लिखत पर रजिस्ट्रीकरण शुल्क संपरिवर्तन के लिये संदत्त प्रतिफल की रकम पर ही जो लिखत में यथा उपवर्णित हो, प्रभार्य होगी, किन्तु किसी भी दशा में प्रभार्य शुल्क की रकम, एक सौ रुपये से कम नहीं होगी.

(18) मध्यप्रदेश राज्य के पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटन परियोजनाओं के लिये निष्पादित की जाने वाली शासकीय भूमि के पट्टे / विकास अनुबंध की लिखतों पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क.

(19) ग्राम तामोट, तहसील गोहरगंज, जिला रायसेन स्थित 138 एकड़ भूमि के मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, भोपाल द्वारा स्पेशल पर्पस व्हीकल (मध्यप्रदेश प्लास्टिक पार्क विकास निगम लिमिटेड) के पक्ष में निष्पादित की जाने वाली हस्तांतरण / पट्टे की लिखत पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क.

(20) पूर्व उच्चतर माध्यमिक तकनीकी विद्यालय, शहडोल के परिसर में की 12.713 एकड़ तथा झाबुआ जिले में ग्राम कल्याणपुरा की शासकीय सर्वे नं. 556/1 की 8 हैक्टर भूमि के, राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल की एक घटक संस्था, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय संस्थान की स्थापना के लिये राजीव गांधी तकनीकी विश्वविद्यालय, भोपाल के पक्ष में निष्पादित किये जाने वाले हस्तांतरण विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क.

(21) नर्मदा घाटी परियोजनाओं के कारण विस्थापित परिवार के सदस्य के पक्ष में निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन भूमि अर्जित करने के लिये निष्पादित किये गये विक्रय विलेख / पट्टा विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क, अर्थात् :—

- (क) परियोजना क्षेत्र के भू-अर्जन अधिकारी का प्रमाण-पत्र प्राप्त किया गया हो, जिसमें उसकी भूमि एवं अन्य अचल सम्पत्ति के लिये मदवार मुआवजे की रकम, विशेष पुनर्वास अनुदान, पुनर्वास अनुदान आदि को सम्मिलित करते हुए कुल राशि दर्शायी गई हो. किन्तु सामान के स्वयं के द्वारा परिवहन करने के लिये संदत्त परिवहन शुल्क की राशि को सम्मिलित नहीं किया जायेगा;
- (ख) विस्थापित व्यक्ति द्वारा पुनर्वास की प्रक्रिया के दौरान मध्यप्रदेश राज्य में किसी भी स्थान पर कृषि भूमि और / या अन्य कोई अचल सम्पत्ति क्रय की गई हो;
- (ग) उपरोक्त खण्ड (क) एवं (ख) की स्थिति अन्तरण विलेख में स्वतः अभिव्यक्त की गई हो;

- (घ) छूट की पात्रता भूमि तथा / या अचल सम्पत्ति के मूल्य पर या उक्त विस्थापित व्यक्ति को मुआवजे, विशेष पुनर्वास अनुदान, पुनर्वास अनुदान, वित्तीय सहायता आदि के रूप में भुगतान की गई प्रतिफल की कुल राशि पर, इनमें से जो भी कम हो, प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क तक सीमित होगी;
- (ङ) विलेख पर प्रभार्य रजिस्ट्रीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति, उप पंजीयक द्वारा प्रस्तुत मांग-पत्र के आधार पर नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण द्वारा वाणिज्यिक कर विभाग को की जायेगी;
- (च) पुनर्वास नीति में यथा-परिभाषित विस्थापित परिवार को ही छूट की पात्रता होगी;
- (छ) ऐसा भूमिहीन विस्थापित व्यक्ति एवं वयस्क पुत्र भी जो पुनर्वास अनुदान, उत्पादक आस्तियों के क्रय के लिये दी जाने वाली वित्तीय सहायता, पुनर्वास स्थल पर विकसित आवासीय भू-खण्ड के लिये दी जाने वाली वित्तीय सहायता के रूप में प्राप्त विभिन्न राशियों से कृषि भूमि तथा / या अन्य अचल सम्पत्ति क्रय करना चाहता है, उक्त छूट के लिये हकदार होगा.

(22) मध्यप्रदेश कृषि उधार प्रवर्तन एवं प्रकीर्ण उपबंध (बैंक) अधिनियम, 1972 और नियम 1974 के अनुसार रजिस्ट्रीकरण शुल्क सारणी के अनुच्छेद नौ (ण) के अधीन प्ररूप-पांच में कृषि ऋण के घोषणा-पत्र फाइल करने के लिये रजिस्ट्रीकरण शुल्क से छूट दी जाती है.

(23) कृषि ऋण के बंधक विलेख के प्रतिहस्तांतरण पर रजिस्ट्रीकरण शुल्क से छूट दी जाती है.

(24) केन्द्र या राज्य शासन के शासकीय सेवकों को, जिन्हें सद्भावनापूर्ण सार्वजनिक प्रयोजनों के लिये प्रविष्टियों या दस्तावेजों एवं नक्शों की प्रतिलिपियों की आवश्यकता हो, या उनका निरीक्षण करने या जांच-पड़ताल करने की आवश्यकता हो शुल्क से छूट दी जाती है.

(25) अधिसूचना क्रमांक एफ-बी-7(बी)-13-2014-2-पांच (27), दिनांक 8 अगस्त, 2014 द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण फीस सारणी के अनुच्छेद-सात के खण्ड (ग) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्राधिकृत बैंकों से कृषि प्रयोजन हेतु ऋण लेने के प्रयोजन के लिये निरीक्षण की मंजूरी देने के लिये शुल्क निम्नानुसार होगा :—

- | | | | |
|------|--|---|----------|
| (एक) | अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के अंतर्गत आने वाले भूमिस्वामी, | : | कुछ नहीं |
| (दो) | भूमिस्वामी, जो ऊपर मद (एक) के अंतर्गत न आते हों तथा 10 हेक्टेयर से अनधिक भूमि धारण करते हों. | : | 50 रुपये |

(26) मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अधीन आवास गृह निर्माण से प्रयोजन के लिये प्राप्त होने वाले एक लाख रुपये तक के ऋण या अग्रिम का प्रतिसंदाय सुनिश्चित करने के लिए, किसी बैंक या वित्तीय संस्था के पक्ष में हितग्राही द्वारा निष्पादित हक विलेखों के निक्षेप से संबंधित लिखत पर रजिस्ट्रीकरण शुल्क सारणी के अनुच्छेद नौ (ण) के अधीन फाइल करने के लिये निर्धारित / अधिसूचित शुल्क से छूट दी जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उप सचिव.

भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2014

क्र. एफ बी-4-22-2014-2-पांच.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ बी-4-22-2014-2-पांच (31), दिनांक 12 दिसम्बर 2014 का अंग्रेजी अनुवाद, राज्यपाल के प्राधिकार से, एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उप सचिव.

Bhopal, the 12th December 2014

No. F. B-4-22-2014-2-V (31).—In Exercise of the powers conferred by Section 80-B of the Registration Act, 1908 (No. 16 of 1908), the State Government, in supersession of all notifications issued previously in this behalf for the purpose of exemptions and reductions hereby, remits the fees chargeable in respect of the following, namely:—

2. This notification will come into force w.e.f. 15th December, 2014.

EXEMPTIONS AND REDUCTIONS

(1) Documents executed by, or in favour of the Government on which as such no stamp duty is leviable under section 3, proviso I, of the Indian Stamp Act, 1899 (No. II of 1899);

(2) Mortgage deeds executed by servants of the Government in civil or military service for securing the repayment of advances received from any Government for the purpose of constructing or purchasing dwelling houses for their own use;

(3) Any instrument of reconveyance of mortgaged property executed by any Government in favour of an officer in civil or military service, on the payment of an advance received by him from Government for the purpose of constructing or purchasing a dwelling house for his own use;

(4) Indentures by way of mortgage executed by Managers of Aided Institutions in consideration of building grants received from the State Government;

(5) Mortgage deed executed by an officer of the Government of Madhya Pradesh for securing the repayment of an advance received by him from the Madhya Pradesh Housing Board established under the Madhya Pradesh Grih Nirman Avam Adhosanrachana Vikas Mandal Adhinyam, 1972 (No. 3 of 1973) for the purpose of constructing a dwelling house for his own residential use;

(6) Instrument of reconveyance of mortgaged property executed by the Madhya Pradesh Housing Board established under the Madhya Pradesh Grih Nirman Avam Adhosanrachana Vikas Mandal Adhinyam, 1972 (No. 3 of 1973) in favour of any officer of the Government of Madhya Pradesh on the repayment of advances received by him from the said Board for the purpose of constructing a dwelling house for his own residential use;

(7) Security Bond executed by the surety of an officer of the Government of the Madhya Pradesh for the due performance of the terms and conditions of the mortgage deed in Form V, prescribed under the Madhya Pradesh Grih Nirman Avam Adhosanrachana Vikas Mandal Adhinyam, 1972 (No. 3 of 1973);

(8) Registration fee chargeable on Sale-deed/lease deed executed by Madhya Pradesh Grih Nirman Avam Adhosanrachana Vikas Mandal, Nagar Vikas Pradhikaran, Town Improvement Trust, Vishesh Kshetra Pradhikaran, Gandhi Basti Unmulan Mandal or Gramin Awas Mandal, in favour of persons of Economically Weaker Sections and Lower Income Group subject to the following conditions.

(A) Where the purchaser/lessee belongs to economically weaker section :—

- (i) that he produces a certificate from the seller/lessor to the effect that he belongs to the economically weaker section;
- (ii) that the area of plot with or without building is not more than 60 square meters.

(B) Where the purchaser/lessee belongs to Lower Income Group :—

- (i) that he produces a certificate from the seller/lessor to the effect that he belongs to Lower Income Group;
- (ii) that the area of plot with or without building is not more than 96 square meters.

(9) Remission of registration fee chargeable on Instrument of sale deeds/lease deeds executed by Primary Co-operative Housing Societies registered or deemed to be registered under the Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 (No. 17 of 1961), after the date of publication of this order in favour of persons of Economically Weaker Section and Lower Income Group subject to the following conditions.

(A) Where the purchaser/lessee belongs to economically weaker section:—

- (i) that he produces an affidavit in the form annexed to this notification (with the deed);
- (ii) that the area of plot with or without building is not more than 60 square meters;
- (iii) the plot/building is for residential purpose only.

(B) Where the purchaser/lessee belongs to lower income group:—

- (i) that that he produces an affidavit in the form annexed to this notification (with the deed);
- (ii) that the area of plot with or without building is not more than 96 square meters.
- (iii) that the plot/building is for residential purpose only:

Provided that remission under this order—

- (i) shall not be available in case of partly constructed building;
- (ii) shall be available on first conveyance deed executed by the seller/lessor.

AFFIDAVIT

I declare on oath that :—

1. My name is father's name age Caste (In case of Scheduled Caste/Scheduled Tribes).

2. I am a permanent resident of Tahsil of District of Madhya Pradesh since years.

3. Following are the members of my family:—

- (1) (Wife) age)
- (2) (Son) age)
- (3) (Daughter) age)

(If Mother-Father are dependent state their names/age).

4. There is no residential building in my own name or in the name of the above mentioned member of my family in Madhya Pradesh.

5. My occupation is (if employed on monthly salary basis in Government or private institution enclose certificates of post held and salary from the employer).

6. My annual income from this occupation and other sources is rupees (State last year's income).

7. The plot/plot together with building constructed thereon, allotted to me by the Primary Co-operative Housing Society measures square metres. On the date of allotment the cost of the same is rupees The certificate of the society to this effect is enclosed.

8. I am a member of the above mentioned Primary Co-operative Housing Society. My membership No. is

9. I am not a registered Commercial Tax payee. My Commercial Tax Registration No. is

10. I do not pay income tax.

11. Description of my Commercial premises is as follows:—

- (1) Commercial premises dimensions of which aresq. meters is situated at (State Complete postal address).
- (2) Commercial premises is held on ownership/rental basis. I pay to Shri (name and address of the shop owner) monthly rent of rupees
- (3) In the above commercial premises trade/production of is carried out. Stock value on the date of declaration is rupees approximately.
- (4) My shop is registered by the Labour Department of Government of Madhya Pradesh its registration No. is

12. I own Motor Car/Motor Cycle and its Registration No. is

Note.—All items from 1 to 12 shall be retained as above. Portion not applicable, may be struck off.

Place

.....

Date

Signature
(Deponent).

VERIFICATION

I, verify that contents from 1 to 12 of the aforesaid averments are true to the best of my knowledge and belief.

Place

.....

Date

Signature
(Deponent).

CERTIFICATE

Primary Co-operative Housing Society(Name and Registration No.).

Certified that Shri Father's name address is a member of this society. His membership No. is on (date) plot No. situated in (State Scheme No. name of colony, address) measuringsq. meter/plot No. and building constructed thereon situated in (State Scheme No. name of colony, address) measuringsq. meter of which the value is rupees has been allotted to him

Signature
President/Chairman
Primary Co-operative Society.

Note.—If only plot is allotted the area and value of plot and if plot together with building constructed thereon is allotted area and value of plot and building constructed thereon shall be certified separately.

(10) Registration fee chargeable on instruments of agreement executed by units under Khadi and Gramodhyog Board for obtaining assistance from the Board.

(11) Registration Fee chargeable on instruments of mortgage-deed executed by Small Scale Industrial units for obtaining financial assistance upto rupees 7.5 Lakhs from the Madhya Pradesh Finance Corporation.

(12) Registration fee chargeable on mortgage deed, executed by servant of the Government in civil or military service, for the purpose of securing the repayment of an advance received by him from the Madhya Pradesh Gramin Awas Mandal, for constructing, purchasing or repairing a dwelling house for his own use.

(13) The maximum limit of Registration Fee chargeable in respect of a mortgage deed executed by a "New Industry" in the field of energy generation and mineral oil refining for raising capital to set up the industry shall be rupees one lac.

Explanation.—For this purpose "New Industry" means an industrial unit which has not gone into production before 19-8-1999 and is so certified by the Commissioner of Industries or any officer appointed by him in this behalf.

(14) No registration fees shall be chargeable on deed of sale of land executed in favour of persons, whose land has been acquired for Auto Testing Track Project, Pithampur, District Dhar, subject to the following conditions, namely :—

- (1) A certificate in the enclosed format from the Collector of Dhar District is obtained, in which the amount of compensation as well as special rehabilitation grant paid for acquisition of land for Auto Testing Track Project, Pithampur is mentioned;
- (2) The position in clause (1) above, is expressed in the instrument of sale itself;
- (3) The eligibility of exemption shall be limited to the amount of registration fees chargeable on the amount of compensation and special rehabilitation grant; and
- (4) The Registration fees chargeable on such instrument in accordance with the provisions of Registration Act shall be re-imbursed by the Commerce, Industry and Employment Department, to the Commercial Taxes Department within one month from the date of registration of the Instrument.

(15) The Registration fees on the instrument of conveyance relating to conversion of lease hold rights into free hold rights of nazul land executed by or on behalf of the Government or a Semi-Government Organisation or any Government Undertaking shall be chargeable in reduction to the extent only on the amount of consideration paid for the conversion, as set-forth in the instrument, but in any case, the amount of fees chargeable shall not be less than One hundred rupees.

(16) The Registration fees on instruments of sale or merger or amalgamation of industrial units as a going concern be reduced to a maximum of rupees ten lakhs when the amount chargeable exceeds that amount. The reduction in fees shall be applicable subject to the following conditions.

- (1) the said instrument is executed for better capacity utilization of the industry;
- (2) the production of the industry in any three of the immediately preceding five years has not exceeded 50 percent of the installed capacity;
- (3) Any bank or financial institution which has extended loan to the industry has considered its loans as non-performing asset for immediately preceding two years;
- (4) the net worth of the industry has been reduced to less than one half of its net worth immediately preceding five years ago; and

- (5) a certificate to the effect that the instrument is eligible for concession under this notification is issued by the Collector of the concerned District in cases where the sale price of the industry does not exceeding one crore rupees and by the Commissioner of the concerned division in other cases.

Note.—This exemption shall be applicable only till the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2010 (as amended 2012) and the Madhya Pradesh Industrial Promotion Policy, 2014 and its Work-plan remains in operation.

(17) The registration fees on the instrument of conveyance relating to conversion of lease-hold rights into free-hold rights of private land executed by or on behalf of the Madhya Pradesh Housing Board or a Development Authority or a Housing Co-operative Society established or registered under any law for the time being in force shall be chargeable in relation to the extent only on the amount of consideration paid for the conversion, as set-forth in the instrument, but in any case, the amount of fees chargeable shall not be less than one hundred rupees.

(18) Registration fee chargeable on the instruments of lease/development agreement of the Government land executed by the Tourism Department of State of Madhya Pradesh for tourism projects.

(19) Registration fee chargeable on instrument of conveyance/lease of 138 acres land, situated at village Tamot, Tehsil Goharganj, District Raisen to be executed by Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam, Bhopal in favour of Special Purpose Vehicle (Madhya Pradesh Plastic Park Development Corporation Limited).

(20) Registration fee chargeable on deed of conveyance of 12.713 acre land in the campus of former Higher Secondary Technical School, Shahdol and 8 hectare land of Government survey No. 556/1 of Village Kalyanpura in Jhabua District in favour of Rajeev Gandhi Technical University, Bhopal for establishment of University Institute of Technology, a constituent institution of Rajeev Gandhi Proudyogiki Vishwavidyalaya, Bhopal.

(21) Registration fee chargeable on sale deed/lease deed executed to acquire land in favour of member of a family displaced on account of Narmada Valley Project subject to the following conditions, namely:—

- (a) a certificate from the land acquisition officer of the project area is obtained in which the total amount including the amount of compensation item wise of his land and other immovable properties, special rehabilitation grant, rehabilitation grant etc., is mentioned. But the amount of transport fee paid for self transportation of goods shall not be included;
- (b) the agriculture land and/ or other immovable property is purchased by the displaced person anywhere in the State of Madhya Pradesh during the process of rehabilitation;
- (c) the position in clause (a) and (b) above is expressed in the instrument of transfer itself;
- (d) the eligibility of exemption shall be limited to the amount of registration fees chargeable on the value of land and/or immovable property or the total amount of consideration paid to the said displaced person as compensation, special rehabilitation grant, rehabilitation grant, financial assistance etc., whichever is less;
- (e) the Registration fees chargeable on the instrument shall be reimbursed by the Narmada Valley Development Authority to Commercial Tax Department on the basis of demand letter produced by the Sub-Registrar;
- (f) only a displaced family as defined in the Rehabilitation Policy shall be entitled for exemption;
- (g) such landless displaced person and adult son, who wants to purchase agricultural land and/ or other immovable property from various amounts as Rehabilitation grant, financial assistance given to purchase productive assets., financial assistance given for developed residential plot at the rehabilitation place, shall also be entitled for the said exemption.

(22) Registration fee is exempted for filing a declaration of agriculture loan, in Form-V under the Madhya Pradesh Krishi Udhar Pravartan Tatha Prakirn Upbandh (Bank) Adhinyam, 1972 and Rule, 1974 under article IX(o) of table of registration fee.

(23) Reconveyance of mortgage deed for agriculture loan is exempted from Registration fees.

(24) Government Servants of Central or State Government, who require copies of entries or documents and maps or require their inspection or search for bonafide public purpose, are exempted from fees.

(25) Notwithstanding anything contained in clause (c) of article-VII of table of registration fee issued *vide* notification No. F-B-7(B)-13-2014-2-पांच(27) dated 8th Aughust, 2014 the fees for allowing the inspection for the purpose of securing loans for agricultural purposes from the authorised Banks shall be in the case of :—

(i)	Bhumiswami belonging to Scheduled castes and Scheduled Tribes	—	Nil
(ii)	Bhumiswami not covered by item (i) above and holding land not exceeding 10 hectares.	—	50 rupees

(26) An instrument relating to deposit of title deed executed by a beneficiary in favour of any bank or financial institution for securing the repayment of loan or advance up to rupees one lakh to be received for the purpose of construction of house under the Mukhyamantri Gramin Awas Yozna is exempted from filing fee fixed/notified under article IX(o) of table of registration fee.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.